

सं0 12021/02/2003-रा0भा0 (का0-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-3 दिनांक सितम्बर, 2004

संकल्प

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र-व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रतिवेदन का छठा खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे लोकसभा के पटल पर तथा राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

11.4 प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें

11.4.1 प्रथम खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.1.1 : रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में शेष बचे कोड, मैनुअलों, प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद शीघ्र पूरा किया जाए।

संस्तुति सं0 11.4.1.2 : विधायी विभाग द्वारा प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा विधि पुस्तकों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

संस्तुति सं0 11.4.1.3 : अनुवाद प्रशिक्षण, अनुवाद पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण व हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था के संबंध में की गई सिफारिशों को राजभाषा विभाग शीघ्र कार्यान्वित करे।

संस्तुति सं0 11.4.1.4 : मानक शब्दावली के निर्माण, नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना, शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा, निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी

लाना, शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन, मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण, प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान, शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द-संग्रहों का अनुकूलन, अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग, कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन, केन्द्र सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग, शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण, शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना, शब्दावली बैंक की स्थापना तथा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग शीघ्र व समुचित कार्रवाई करे।

संस्तुति सं0 11.4.1.5 : उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।

संस्तुति सं0 11.4.1.6 : समिति के प्रतिवेदन के पहले खंड के पैरा 14.4.4 तथा पैरा 14.4.7 में क्रमशः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन किए जाने तथा उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

11.4.2 दूसरा खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.2.1 : देवनागरी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के अनुसंधान, विकास और निर्माण तथा इस प्रकार के टाइपराइटर्स पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत देने संबंधी सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और उद्योग मंत्रालय अविलम्ब समुचित कार्रवाई करे।

संस्तुति सं0 11.4.2.2 : हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने संबंधी सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बची कार्मिक तथा वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और तदनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए।

संस्तुति सं0 11.4.2.3 : इलेक्ट्रॉनिकी यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के प्रयोग के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित कार्यवृत्त की इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

संस्तुति सं0 11.4.2.4 : इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकी विकास मिशन की योजना को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए।

संस्तुति सं0 11.4.2.5 : कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश पर शिक्षा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे।

संस्तुति सं0 11.4.2.6 : राजभाषा नीति के सुचारु रूप से अनुपालन कराए जाने के लिए राजभाषा विभाग को पूरी तरह सशक्त और साधन सम्पन्न बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

संस्तुति सं0 11.4.2.7 : समिति की टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रचालकों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने संबंधी सिफारिश पर वित्त मंत्रालय फिर से विचार करे ।

11.4.3 तीसरा खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.3.1 : हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देय नकद पुरस्कार राशि तथा एक मुश्त राशि को बढ़ाए जाने संबंधी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय विचार करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.2 : हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा व पुनरीक्षण तथा हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु गठित पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.3 : समिति की 'ग' क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दिए जाने तथा हिन्दी प्राध्यापकों के नए पद सृजित किए जाने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.4 : हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाने के मानदण्डों की पुनरीक्षा किए जाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग शीघ्र प्रस्तुत करे और तदनुसार कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.5 : हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार तथा देश के सभी भागों के शिक्षा संस्थानों में हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन संबंधी सिफारिशों पर शिक्षा विभाग पूरी तथा समुचित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.6 : राजभाषा विभाग तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व इसके उपसंस्थानों के सुदृढीकरण संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करें ।

संस्तुति सं0 11.4.3.7 : समिति की दूरदर्शन से हिंदी पाठों के प्रसारण संबंधी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.8 : समिति की कृषि व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों और आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक विषयों आदि के पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने संबंधी सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीघ्र समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.9 : विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने संबंधी सिफारिश पर रक्षा मंत्रालय शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.10 : राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा संबंधी सिफारिश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.11 : तीसरे खण्ड के पैरा 18.10 और 18.12 में क्रमशः सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प दिए जाने और भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को समाप्त करने संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

11.4.4 चौथा खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.4.1 : गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां किए जाने संबंधी सिफारिश पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग शीघ्र समुचित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.4.2 : ‘क’ क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिन्दी में जारी करने संबंधी सिफारिश पर सरकार पुनः विचार करे ।

“ समिति के प्रतिवेदन के उक्त चार खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की उक्त सिफारिश सं0 11.4.3.11 स्वीकार नहीं की गई है । इसका उल्लेख आगे सिफारिश सं0 11.5.13 में भी किया गया है । ”

11.5 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों व अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें

संस्तुति सं0 11.5.1 : राजभाषा संबंधी आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई मानीटरिंग व्यवस्था अपर्याप्त है । अतः इसको और सुदृढ़ बनाया जाए तथा मंत्रालयों/विभागों/मुख्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा अधीनस्थ /सम्बद्ध कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए ।

संस्तुति सं0 11.5.2 : अधिकतर कार्यालयों विशेषकर ‘ख’ तथा ‘ग’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम, राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर राष्ट्रपति जी के आदेश एवं इस संबंध में जारी आदेशों/अनुदेशों का पूर्ण ज्ञान नहीं है जिसके कारण वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में जागरूक नहीं हैं । प्रशासनिक प्रधानों का यह दायित्व है कि वे इन आदेशों/अनुदेशों आदि की व्यापक जानकारी व उनका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

“समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । ”

संस्तुति सं0 11.5.3 : ‘ग’ क्षेत्र के कार्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए व उनका ज्यादा अच्छा लाभ उठाया जाए ।

“समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए । ”

संस्तुति सं0 11.5.4 : द्विभाषी रूप में उपलब्ध टाइपराइटर्स व अन्य यंत्रों पर हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है अतः इसे बढ़ाने हेतु ध्यान दिया जाए ।

“ समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में निदेश जारी किए जाएं । ”

संस्तुति सं0 11.5.5 : कुछ कार्यालयों में अभी भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए तथा उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिए ।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस आशय के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें । इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पुनः निदेश जारी किए जाएं ।”

संस्तुति सं0 11.5.6 : राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय वितरण सुनिश्चित किया जाए व इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए ।

“वार्षिक कार्यक्रम का समय पर वितरण और उसके अनुपालन के संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं0 11.5.7 : राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए ।

“इस बारे में पहले से ही निदेश हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाए । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं0 11.5.8 : मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन यथासमय किया जाए तथा इसकी अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बैठकें की जाएं ।

“ हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें औसतन वर्ष में एक से ज्यादा करना व्यावहारिक नहीं है । इसलिए मंत्री स्तर पर ली जाने वाली ये बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार भी की जाएं तो वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं । ”

संस्तुति सं0 11.5.9 : मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे है । इसमें सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ।

“इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं० 11.5.10 : शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिन्दी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इन पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए ।

“समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिन्दी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लिखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है । राजभाषा विभाग समय-समय पर हिन्दी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध करवाएगा ।”

संस्तुति सं० 11.5.11 : कोड/मैनुअलों और अन्य कार्यविधि साहित्य को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि अभी भी कुछ कार्यालयों में यह द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में उपलब्ध नहीं हैं ।

संस्तुति सं० 11.5.12 : अभी भी अधिकतर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से ही दिया जा रहा है । ऐसे केन्द्रों में प्रशिक्षण सामग्री पूर्णतया हिन्दी/द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए ।

“ इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।”

संस्तुति सं० 11.5.13 : सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए । सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी हो । जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया जाए । साक्षात्कार के लिए भी यही नियम लागू हो ।

“साक्षात्कार में हिन्दी का विकल्प देने के लिए पहले से आदेश विद्यमान हैं । लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प: 1968 के प्रतिकूल है ।”

संस्तुति सं० 11.5.14 : अभी भी कुछ कार्यालयों में रजिस्ट्रों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जा रही हैं । इन प्रविष्टियों को सरकारी आदेशानुसार हिन्दी में करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ।

“ इस संबंध में समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में की गई सिफारिश के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21.07.1992 के का०ज्ञा० सं० 12024/2/92-रा०भा० (ख-2) के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में रजिस्ट्रों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में करें और ‘ग’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में प्रविष्टियां यथासंभव हिन्दी में करें ।”

संस्तुति सं० 11.5.15 : जांच-बिन्दुओं को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाया जाए

“ इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । अतः यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं0 11.5.16 : सभी प्रकाशन, जहां तक संभव हो, द्विभाषी रूप में निकाले जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अंग्रेजी व हिन्दी की सामग्री लगभग बराबर हो ।

“ इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं0 11.5.17 : कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है । अतः समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं ।

“ समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश जारी किए जाएं । ”

संस्तुति सं0 11.5.18 : निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को एक निश्चित समय-अवधि में पूरा किया जाए ।

“ संसदीय राजभाषा समिति किसी कार्यालय से आश्वासन नहीं मांगती है । यदि कोई कार्यालय अपनी इच्छा से आश्वासन देता है तो वह उसे अविलम्ब पूरा करे । राजभाषा विभाग इस संबंध में निदेश जारी करे । ”

11.6 संघ तथा राज्य सरकारों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें

संस्तुति सं0 11.6.1 : जिन राज्यों में राजभाषा अधिनियम पारित नहीं किये गए हैं, उनमें यह अधिनियम /संकल्प अविलम्ब पारित किया जाए तथा राजभाषा अधिनियम/नियमों में केन्द्र तथा हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हिंदी में पत्राचार करने का प्रावधान किया जाए ।

संस्तुति सं0 11.6.2 : राज्यों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए । परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी न बना कर उसे विकल्प मात्र रखा जाए । परीक्षाओं का माध्यम संबद्ध राज्य की राजभाषा अथवा सर्वाधिक प्रचलित भाषा और हिंदी ही होनी चाहिए । जहां स्थानीय परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य हो वहां अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी दिया जा सकता है ।

“समिति की उक्त सिफारिशें राज्य सरकारों के विचारार्थ भेज दी जाएंगी । राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 345 में वर्णित हैं । इन प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं । ”

संस्तुति सं0 11.6.3 : सभी राज्यों में राज्य सचिवालय स्तर पर हिंदी प्रभाग/प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, जिसमें हिंदी स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी आशुलिपिक, देवनागरी या द्विभाषी टाइपराइटर्स, कम्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था भी की जाए ।

“ समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इसे राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा जाए ।”

संस्तुति सं0 11.6.4 : कहीं से भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए ।

“ समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग किया जाना है । ”

संस्तुति सं0 11.6.5 : अधीनस्थ कार्यालयों में अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और सम्बद्ध राज्यों में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं, हिंदी तथा राज्य की राजभाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए । उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में भी हिंदी तथा सम्बद्ध राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने का प्रावधान किया जाए ।

“यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । अतः समिति की यह सिफारिश आगामी विचार एवं कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया जाए । ”

संस्तुति सं0 11.6.6 : विधान मंडलों में होने वाले समस्त विधायी कार्य तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों, संकल्पों, नियमों आदि का प्रारूपण मूल रूप से हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा में किया जाए और जहां अपरिहार्य हो, वहां उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए । किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा के पाठ को ही प्रमाणित माना जाए ।

“ समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इसका संबंध राज्य सरकारों से है । अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए ।”

संस्तुति सं0 11.6.7 : हिंदी के माध्यम के रूप में, प्रत्येक स्तर पर, हिंदी और सम्बद्ध राज्य की राजभाषा को अपनाया जाए ।

“समिति की यह सिफारिश स्पष्ट नहीं है ।”

संस्तुति सं0 11.6.8 : राज्य स्तर पर सभी इलैक्ट्रॉनिक यंत्र/संयंत्र/कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराए जाएं और इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए ।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । ”

संस्तुति सं0 11.6.9 : केवल रोमन के टाइपराइटर्स/इलैक्ट्रॉनिक यंत्रों आदि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए ।

संस्तुति सं0 11.6.10 : केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएं हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और अधिकाधिक तार/फैक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए ।

“ समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई । ”

संस्तुति सं0 11.6.11 : सभी नियम पुस्तकें, प्रक्रिया साहित्य आदि राज्य की राजभाषा में उपलब्ध हों ।

“ समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस पर आगामी कार्रवाई एवं विचार के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाए । ”

संस्तुति सं0 11.6.12 : राज्य सरकारों को हिंदी शिक्षण योजना चलाने व हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय व अन्य संसाधनों द्वारा सहायता देने की योजना तैयार कर उसे लागू किया जाए ।

“पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एक भी राज्य आगे नहीं आया । इसलिए समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । ”

संस्तुति सं0 11.6.13 : ‘ग’ क्षेत्र के राज्यों को भी पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र की भांति अन्य राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए ।

“समिति की इस सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है । ”

11.7 संघ तथा संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग संबंधी सिफारिशें

समिति यह महसूस करती है कि संघ तथा संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहल करनी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में हिंदी के प्रभाव को देखते हुए वहां पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए । इसी प्रकार केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट नीति तय कर लेनी चाहिए ताकि वहां पर राजभाषा नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जा सके । दादरा एवं नागर हवेली में हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपिक, हिंदी अधिकारी आदि के पद सृजित करके हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार दमन एवं दीव में राजभाषा हिंदी के सुचारु कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यापकों

के प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। लक्षद्वीप में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को गति देने के लिए हिंदी में कार्य कर सकने वाली यांत्रिक सुविधाएं, अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने तथा हिंदी संबंधी पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है। संक्षेप में केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति के लिए कार्मिक शक्ति व अन्य यांत्रिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि संघ/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार हिंदी में किया जा सके।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।”

11.8 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में संघ तथा राज्य की राजभाषाओं का प्रयोग

संस्तुति सं० 11.8.1 : ‘क’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होनी चाहिए।

संस्तुति सं० 11.8.2 : ‘क’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा ‘ग’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की भारतीय भाषा, जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए। किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

संस्तुति सं० 11.8.3 : ‘ख’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्रों में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा हिंदी होनी चाहिए।

संस्तुति सं० 11.8.4 : ‘ख’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा ‘ग’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की भारतीय भाषा, जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए। किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

संस्तुति सं० 11.8.5 : ‘ग’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की भारतीय भाषा जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए। किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

“समिति की उक्त सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। इन पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाए। राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निदेश जारी किए जाएं।”

11.9 विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें

संस्तुति सं0 11.9.1 : भारत सरकार के विदेश स्थित कार्यालयों में राजभाषा संबंधी सभी आदेशों, विशेष तौर पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों व समिति के प्रतिवेदन के पिछले चार खण्डों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । समिति विशेष तौर पर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देती है । देश में या विदेश में स्थित निजी पार्टियों/एजेंटों के साथ भारत सरकार के ऐसे करारों को अंतिम रूप देने /निष्पादित करते समय भारत सरकार की अन्य नीतियों की तरह ही केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का भी ध्यान रखा जाए ।

संस्तुति सं0 11.9.2 : भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन के संबंध में विदेश में स्थित भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों आदि का विशेष महत्व है । जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गीत भारत की मर्यादा व सम्मान का सूचक है उसी प्रकार राजभाषा भी भारत की पहचान है । इसलिए हमारे राजदूतावास/उच्चायोग यह सुनिश्चित करने में पहल करें तथा इस उद्देश्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरह विदेशों में भी समितियां बनाई जाएं जिनका अध्यक्ष भारत का राजदूत/उच्चायुक्त हो तथा उस देश में भारत सरकार के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष इसके सदस्य हों । यह समिति अपनी बैठकें नियमित रूप से करें तथा उसकी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय व राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जाए ।

“समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.9.3 : विभिन्न देशों में हिंदी की प्रगति संबंधी विशेष परिस्थितियां हैं तथा उन परिस्थितियों की पहचान कर हिंदी की प्रगति संबंधी उचित कदम उठाने की जरूरत है । उदाहरण के लिए समिति ने मारीशस में हिंदी के प्रति अपार स्नेह पाया परन्तु वहां पर हिंदी पुस्तकें, हिंदी अध्यापकों आदि की कमी महसूस की गई । इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अध्यापकों की मांग है । इसलिए समिति यह सुझाव देती है कि विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास/उच्चायोग आदि ऐसी विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करायें तथा तदनुसार हिंदी को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाएं । भारतीय दूतावास/उच्चायोग आदि हिंदी को बढ़ावा देने हेतु संसाधन, जिसमें मानव शक्ति , यंत्र, पुस्तकें आदि भी शामिल हों उपलब्ध कराने हेतु समन्वय का काम करें तथा यदि संभव हो तो कुछ टोकन वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायें ।

“समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग इसके त्वरित कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार करे और उसे 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा करे ।”

संस्तुति सं0 11.9.4 : भारत सरकार के राजदूतावासों/उच्चायोगों में हिंदी एकक की स्थापना हो जो उस देश में भारत सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी संबंधी आदेशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करें । ऐसा हिंदी एकक किसी हिंदी में प्रवीण अधिकारी के अंतर्गत काम करे तथा उसमें कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर, एक हिंदी टाइपिस्ट, एक हिंदी आशुलिपिक व एक हिंदी अनुवादक उपलब्ध हो । समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान भारतीयों/भारतीय मूल के

लोगों से चर्चा के दौरान यह महसूस किया कि यदि भारतीय राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनो आदि में ऐसे लोगों से हिंदी में बात करने की व पत्र-व्यवहार करने की व्यवस्था हो तो जहां उन्हें अपनेपन का अहसास होगा वहीं विदेशी भाषाओं में अप्रवीण कुछ भारतीय लोग अपनी कठिनाइयों से भी हमारे दूतावास को अवगत करा सकेंगे । बहुत सारे भारतीय अप्रवासी विदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यों से जाते हैं तथा विदेशी भाषा में अपने विचार उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं जितनी आसानी से वह हिंदी में कर सकते हैं । ऐसे विदेशी माहौल में वे अपने आपको कटा हुआ महसूस करते हैं । ऐसे अप्रवासी भारतीय जब हमारे दूतावास में जाते हैं तो वहां भी उन्हें विदेशी माहौल ही मिलता है जिसे कि बदला जा सकता है । इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों/उच्चायोगों/मिशनो आदि में स्वागत कक्ष में बैठने वाले कम से कम एक कर्मचारी को हिंदी बोलनी, लिखनी व पढ़नी आती हो तथा वह कर्मचारी जहां तक हो सके भारतीयों के साथ हिंदी में ही बातचीत व पत्राचार करे । इस प्रकार की सूचना स्वागत कक्ष में भी मोटे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए ताकि कोई भी भारतीय जो हिंदी में बातचीत अथवा पत्राचार करना चाहे वह बिना संकोच ऐसा कर सके ।

“ समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विदेश मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कछ चुनिंदा राजदूतावासों, उच्चायोगों में हिंदी कक्ष की व्यवस्था करे । राजभाषा विभाग द्वारा राजदूतावासों/उच्चायोगों के स्टाफ के लिए एक सप्ताह का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी राजदूतावास में आयोजित किया जाए । प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अन्य दूतावासों/उच्चायोगों के स्टाफ को भी नामित किया जाए । साथ ही कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए । ”

संस्तुति सं० 11.9.5 : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान उनको परिवीक्षा अवधि के दौरान दिया जाना चाहिए । जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के काडर में तभी शामिल किया जाता है जब वे एक निश्चित अवधि में उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं उसी प्रकार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, जो विदेशों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, के लिए भी आवश्यक हो कि वह भारत सरकार की राजभाषा हिंदी का ज्ञान रखते हों । इसी तरह विदेशों में स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध/व्यवस्था की जानी चाहिए ।

“ विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को हिंदी भाषा का विधिवत प्रशिक्षण देने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए ।”

संस्तुति सं० 11.9.6 : समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान पाया कि विदेश मंत्रालय से भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनो आदि से हिंदी में किया गया पत्राचार बहुत ही कम है । समिति सिफारिश करती है कि मूल पत्राचार में विदेश मंत्रालय हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक करे जिससे विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनो में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी सुदृढ़ करें क्योंकि वर्तमान मॉनीटरिंग की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं तथा एक सुदृढ़ मॉनीटरिंग व्यवस्था न केवल जांच बिन्दु के रूप में काम करेगी बल्कि विदेशों में स्थित राजदूतावासों आदि का सही-सही मार्गदर्शन भी कर सकेगी ।

“ विदेशों में स्थित राजदूतावासों, उच्चायोगों/मिशनोँ आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा अपनी निरीक्षण व मॉनिटरिंग व्यवस्था और सुदृढ की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.9.7 : जब कभी भी भारत सरकार के अधिकारी विदेशों में जाएँ तो जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है वहाँ उन्हें अंग्रेजी के द्विभाषिए लेने के बदले हिंदी तथा उस देश की भाषा के द्विभाषिए ही लेने चाहिए ।

“समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.9.8 : विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों संबंधी जानकारी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए । इसी प्रकार विदेश स्थित कार्यालयों में हिंदी की पुस्तकें/पत्र-पत्रिकाओं की मात्रा बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाये ।

“ विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पर्यटक स्थलों की विस्तृत जानकारी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए । पर्यटन जानकारी से संबंधित प्रकाशन जो केवल अंग्रेजी में हैं उन्हें इन कार्यालयों में हिंदी में भी उपलब्ध किया जाना चाहिए । इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा कारगर कार्रवाई की जाए ।”

11.10 अन्य सिफारिशें

संस्तुति सं0 11.10.1 : अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें जो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है वह बाद में समाप्त हो जाती है । इस कारण हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिकारियों/ कर्मचारियों की रुचि नहीं होती है । अतः सुझाव है कि वह वेतन वृद्धि स्थायी रूप से दी जानी चाहिए और हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यह वेतनवृद्धि निरंतर जारी रखनी चाहिए । यदि निर्धारित परीक्षा पास करने के पश्चात संबंधित अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करते हैं तो यह वेतन वृद्धि रोक दी जानी चाहिए ।

संस्तुति सं0 11.10.2 : यही पद्धति हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन पर भी लागू होनी चाहिए ।

“समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.3 : प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे हिंदी में कार्य लिया जाये । वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हें स्थायी रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ।

“ ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।”

संस्तुति सं0 11.10.4 : राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को हिंदी में अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने पर तथा हिंदी में काम करने पर जो पुरस्कारों की योजना है वह जारी रहनी चाहिए ।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निदेश जारी किए जाएं ।”

संस्तुति सं0 11.10.5 : हिंदी में काम करने की मानसिकता पैदा की जाये । समिति सहमत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि की जरूरत है, परन्तु इन सबके बावजूद भी सरकारी आदेशों को न मानने वालों को इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने का अहसास दिलाया जाए ताकि उन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके । यदि हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले (कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी) हिंदी में काम नहीं करते हैं, हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद भी हिंदी में काम नहीं करते है तथा जिन्होंने हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी में कम्प्यूटर पर कार्य करने की परीक्षा पास कर ली है और फिर अपना कार्य हिंदी में नहीं करते हैं तो उनको जो वेतन वृद्धियां दी गई हैं वे रोक देनी चाहिए । साथ ही उनको हिंदी में प्रशिक्षण के बाद काम न करने के संबंध में चेतावनी भी लिखित रूप में ही दी जानी चाहिए कि वह हिंदी में कार्य करें अन्यथा राजभाषा नियम तथा तत्संबंधी आदेशों की अवहेलना करने की बात उनकी सेवा पंजिका में दर्ज की जाएगी और यदि इसके बाद भी वे कार्य हिंदी में शुरू नहीं करते हैं तो उनके वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के आदेश जारी किए जाएंगे । यह आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक वे हिंदी में कार्य शुरू नहीं करते हैं ।

“ सरकार की नीति है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से किया जाए । फिलहाल इसके अंतर्गत दंड का कोई प्रावधान नहीं है तथापि राजभाषा नियम,1976 (यथा संशोधित,1987) के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा समय- समय पर जारी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपाय करे । ”

संस्तुति सं0 11.10.6 : हिंदी में काम न करने पर जो प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके अधिकारी द्वारा यह लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली है तथा इन्हें राजभाषा नियम,1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी में करने के आदेश भी दे दिए गए हैं फिर भी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं । यह राजभाषा नियमों की अवहेलना है । इस बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी की अगली तरक्की के समय पर विशेष रूप से रखा जाए ।

संस्तुति सं0 11.10.7 : जिस कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/सम्बद्ध कार्यालय/उपक्रम आदि, कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी, हिंदी

टंकण/हिंदी आशुलिपि/अनुवाद प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए अपने सरकारी काम का 50 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की आपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए।

“वर्तमान में दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं।”

संस्तुति सं० 11.10.8 : जो व्यक्ति हिंदी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।

“भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।”

संस्तुति सं० 11.10.9 : सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा हिंदी में काम करने के संबंध में विवरण देने के लिए अलग से कालम बनाया जाना चाहिए और उसमें तत्संबंधी विवरण भी अवश्य दिए जाने चाहिए।

“समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे।”

संस्तुति सं० 11.10.10 : केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती नियमों को संशोधित कर कर्मचारियों का स्थायीकरण होने से पहले हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना जरूरी

समिति ने अपने तीसरे खंड में सिफारिश की थी कि ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष 1990 के अंत तक तथा ‘ग’ क्षेत्र में वर्ष 1993 के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए।

सरकार द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई थी कि ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अंत तक तथा ‘ग’ क्षेत्र में स्थित कार्यालय के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। समिति की नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा इसको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई हो रही है।

समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया कि कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में प्रगति तो रही है परंतु हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षण केन्द्र न होने तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण इसकी गति धीमी है। समिति यह महसूस करती है कि इस धीमी गति से निर्धारित समय पर लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अतः समिति का सुझाव है कि हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों व सेवा नियमों के अनुसार समिति ने यह देखा कि राज्य की राजभाषा में प्रवीण व्यक्तियों को ही राज्य की सेवा में लिया जाता है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है उन्हें विभिन्न राज्यों के कैंडिडेट में तभी शामिल किया जाता है जबकि एक निश्चित अवधि में वे उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है तथा समिति सिफारिश करती है कि चूंकि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अतः संघ की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में भी इस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में जितने भी नये कर्मचारी भर्ती हों उनके लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो। उनका स्थायीकरण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उस कर्मचारी ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है या नहीं। प्रवीणता प्राप्त करने के लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी शिक्षण का पूरा इंतजाम किया जाए ताकि ऐसे कर्मचारी को जो प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हों, किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। समिति यह मानती है कि इसके प्रतिवेदन के तीसरे खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार सन् 2000 तक केन्द्र सरकार के सभी वर्तमान कर्मचारी हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। उपरोक्त सिफारिश के अनुसार नए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रवीण हो जाएंगे ताकि सन् 2000 के बाद केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में पूरा काम करने का सपना साकार हो सके।

“ हिंदी-प्रशिक्षण-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना पर आधारित है। इसके अंतर्गत दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है।”

संस्तुति सं० 11.10.11 : लिपिक/टंकक/आशुलिपिक की भर्ती करते समय हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

“ समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इस बारे में लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी किए जाएं।”

संस्तुति सं० 11.10.12 : उपरोक्त पैरा सं० 11.10.11 में उल्लिखित कर्मचारियों से ऊपर के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में भी उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। राजभाषा को उसका उचित स्थान देने के संबंध में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए। जिस विभाग में सारा काम हिंदी में होने लगे तो उस विभाग के संबंधित अधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना चाहिए।

“भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से

आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं।”

संस्तुति सं० 11.10.13 : राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिंदी पदों के संबंध में अलग से मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी बड़े-बड़े मंत्रालयों में रेल मंत्रालय की तरह राजभाषा निदेशालय बनाए जाएं ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। इसी प्रकार भारत सरकार के बड़े-बड़े अधीनस्थ, सम्बद्ध, उपक्रम, कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रयोग व प्रसार से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए राजभाषा निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर का अधिकारी हो और वह केवल राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के कार्य का ही संचालन करे। अधिकांश उपरोक्त स्तर के कार्यालयों में यह देखने में आया है कि राजभाषा के प्रचार-प्रयोग संबंधी कार्य दूसरे विषय के अधिकारी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में सौंप दिया जाता है जबकि उसको राजभाषा के बारे में न कोई जानकारी होती है और न ही उसको बढ़ावा देने के लिए राजभाषा संबंधी कार्य में रूचि लेते हैं। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाला स्टाफ भी राजभाषा के प्रयोग व प्रसार में उतनी रूचि नहीं लेता जितनी अपेक्षा होती है।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन हेतु मानक पहले से ही विद्यमान है।”

संस्तुति सं० 11.10.14 : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैंडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक (राजभाषा) के पद तक पहुंच जाता है, किन्तु भारत सरकार के अधीनस्थ/सम्बद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैंडर की व्यवस्था नहीं है। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से इस कारण वंचित रह जाते हैं कि वह राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है। अतः उक्त कार्यालयों में राजभाषा कैंडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैंडर बनाया जाए।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राजभाषा विभाग द्वारा तत्संबंधी निदेश पुनः परिचालित किए जाएं।”

संस्तुति सं० 11.10.15 : सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।”

संस्तुति सं० 11.10.16 : राजभाषा नीति तथा तत्संबंधी आदेशों को लागू कराने के लिए राजभाषा विभाग को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

“समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.17 : आटोमेशन करने से हिंदी का काम पिछड़ रहा है । अतः शुरु से ही यह ध्यान रखा जाये कि आटोमेशन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रचुर प्रावधान हो ।

“सभी प्रकार के यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में खरीदे जाने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । ”

संस्तुति सं0 11.10.18 : सभी कम्पनियों/निकायों, उपक्रमों, प्राधिकरणों आदि के भारतीय नाम रखे जाएं और उन्हें पंजीकृत कराए जाएं ।

“इस बारे में निदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों के नाम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में दिए जाएं । इन निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा इन निदेशों की पुनरावृत्ति की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.19 : राजभाषा नियम,1976 के नियम 8 (4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिए जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मर्दे निर्धारित कर दी जाएं जिन्हें वे हिंदी में करें ।

“राजभाषा नियम,1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । ”

संस्तुति सं0 11.10.20 : ‘ग’ क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी टाइपिस्ट/हिंदी आशुलिपिक तथा देवनागरी टाइपराइटर्स का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया जाए ।

“वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 में ‘ग’ क्षेत्र के लिए लक्ष्य पहले से ही 50% निर्धारित है । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।”

संस्तुति सं0 11.10.21 : द्विभाषी इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए ।

“राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मर्दों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । तदनुसार ही द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है । इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है ।”

संस्तुति सं0 11.10.22 : 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फार्मों और मानक मसौदों का उपयोग किया जाए ।

संस्तुति सं0 11.10.23 : 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्रशीर्ष, वाहनों पर लिखे जाने वाले कार्यालय के विवरण और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी में तैयार किए जाएं ।

“राजभाषा नियम,1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं ।”

संस्तुति सं0 11.10.24 : 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए ।

“‘क’ क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों आदि द्वारा ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों आदि को तथा राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं । इसी प्रकार ‘ख’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को 90% पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं । तदनुसार ही ‘क’ क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं । इसके कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं ।”

संस्तुति सं0 11.10.25 : राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) में संशोधन किया जाए जिससे 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें ।

“राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।”

संस्तुति सं0 11.10.26 : सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया जाए अर्थात् प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली नकद पुरस्कार की राशि को दुगुना कर दिया जाए तथा 12 महीने के लिए मिलने वाली वेतन वृद्धि को स्थायी रूप प्रदान किया जाए जिससे कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान लाभ प्राप्त हो ।

“विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशियां पहले ही दुगुनी कर दी गई हैं । इस आशय के निदेश भी जारी किए जा चुके हैं । वेतनवृद्धि स्थायी रूप से देने के बारे में राजभाषा विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श करे ।”

संस्तुति सं0 11.10.27 : राजभाषा अधिनियम,1963, राजभाषा नियम,1976, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तथा समिति के प्रतिवेदन के 4 खण्डों में की गई सिफारिशों पर हुए राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित

करने हेतु राजभाषा विभाग में मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ।

“ इस संबंध में निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । अतः समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । तथापि, इस संबंध में पहले से ही जारी निदेशों को पुनः परिचालित किया जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.28 : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/आडियो कैसेटें भी तैयार करवाई जा सकती है ।

“ समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है । इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए । राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।”

संस्तुति सं0 11.10.29 : प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय/उपक्रम आदि में अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ।

“ समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों की पुनरावृत्ति की जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.30 : हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों (प्राप्ति सूचना-पत्रों को छोड़ कर) के उत्तर दिए जाएं तथा जिन मामलों में कोई कार्यवाई अपेक्षित न हो उनकी भी प्राप्ति सूचना हिंदी में भेजी जाए ताकि हिंदी में पत्र भेजने वालों को यह आभास न हो कि पत्र हिंदी में भेजे जाने के कारण उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

“ इस संबंध में राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । तथापि, राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से जारी निदेशों को पुनः परिचालित किया जाए ।”

संस्तुति सं0 11.10.31 : राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम वित्त वर्ष शुरू होने से लगभग 3 मास पूर्व ही जारी हो जाना चाहिए ताकि सभी कार्यालयों में यह वार्षिक कार्यक्रम वर्ष शुरू होने से लगभग एक मास पूर्व पहुंच जाएं जिससे उन्हें विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तथा उसका कार्यान्वयन वर्ष के शुरू से ही किया जा सके । इस वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य यथार्थ के आधार पर पुननिर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

“ वार्षिक कार्यक्रम समय पर जारी करने के संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । लक्ष्यों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता है ।”

संस्तुति सं0 11.10.32 : हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए । उस दिन

कार्यालय का सारा कार्य हिन्दी में ही किया जाए । किसी विशेष मामले में यदि उस दिन कोई कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिन्दी में ही किए जाएं ।

“ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । अतएव यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । ”

संस्तुति सं011.10.33 : विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के पत्रशीर्षों पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘हमेशा हिन्दी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएं’ , ‘इस कार्यालय/उपक्रम में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है ।’ आदि घोष वाक्य (स्लोगन) लिखवाए जाने को प्रोत्साहित किया जाए ।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । पत्र शीर्षों पर राजभाषा हिन्दी में काम करने हेतु प्रेरणा देने वाले स्लोगन छपवाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं । ”

संस्तुति सं0 11.10.34 : डाक तार की स्टेशनरी, लिफाफे, अन्तर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्ड आदि पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में स्लोगन लिखवाए जाएं ।

“ राजभाषा हिन्दी के संवर्धन, विकास एवं प्रसार हेतु समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए । ”

संस्तुति सं0 11.10.35 : दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच-बीच राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी स्लोगन/छोटे-छोटे वृत्तचित्र आदि दिखाए जाएं/प्रसारित किए जाएं । इनमें विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी प्रकट विचारों का उल्लेख भी किया जा सकता है ।

“समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिफारिश के अनुरूप समुचित कार्रवाई करे ।”

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाएं।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं० 12021/02/2003-रा०भा० (का०-2) दिनांक सितम्बर, 2004
सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
2. भारत के सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. विधि आयोग, नई दिल्ली।
5. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
9. भारत के महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
10. बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
11. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
13. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
14. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
15. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
16. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
17. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
18. योजना आयोग, नई दिल्ली।
19. निदेशक, जन सम्पर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
20. संसद का पुस्तकालय, नई दिल्ली।
21. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग (राजभाषा भारती में प्रकाशनार्थ)।

- 22.केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुशीलन में प्रकाशनार्थ) तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र (संलग्न सूची के अनुसार) ।
- 23.केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप-केन्द्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।
- 24.संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
- 25.केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।
- 26.अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 34, कोटला मार्ग, नई दिल्ली ।
- 27.निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- 28.राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
- 29.कार्यान्वयन प्रभाग के लिए 75 अतिरिक्त प्रतियां ।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

